भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 86
उत्तर देने की तारीख 18 नवंबर, 2019

अन्य देशों के साथ करार

†86. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायिक कौशल विकास के लिए अन्य देशों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन विशेष क्षेत्रों के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए है तथा उक्त देशों के क्या नाम हैं?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल विकास व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में अध्याय शिक्षण बढ़ाने और साझा करने, कुशल कार्यबल का संचलन करने के लिए अर्हताओं की आपसी मान्यता, क्षमता निर्माण और क्षमता आधारित पाठ्चर्या का विकास करने आदि के क्षेत्र में नौ (9) देशों के साथ पंद्रह (15) समझौता ज्ञापनों/करारों/आशय की संयुक्त घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मंत्रालय ने जिन देशों के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापनों/करारों/आशय की संयुक्त घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं उनके नाम और सहयोग के क्षेत्रों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुबंध

''अन्य देशों के साथ समझौता'' के बारे में श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दिनांक 18.11.2019 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर के भाग (क) से (ग) के उत्तर उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	**देश का नाम**	**समझौते का प्रकार**	**कवर किए गए क्षेत्र**
1.	जर्मनी	संयुक्त समझौता ज्ञापन	कौशल विकास और वीईटी के क्षेत्र में सहयोग, दोहरी शिक्षुता और कार्यस्थल-आधारित कौशल विकास, क्षमता निर्माण सहित योग्यता आधारित पाठ्यक्रम, वीईटी क्लस्टर प्रबंधकों का प्रशिक्षण आदि।
		कार्यान्वयन समझौता	भारत में सहकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ काम करना।
		आशय की संयुक्त घोषणा	वीईटी क्लस्टर प्रबंधकों और भारतीय कौशल विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण, जो सीधे तौर पर दोहरे समूहों की प्रक्रियाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन में लगे हुए हैं।
		सतत विकास के लिए कौशल संबंधी आशय की संयुक्त घोषणा	व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण
		आशय की संयुक्त घोषणा	सतत विकास के लिए कौशल
2	जापान	सहयोग ज्ञापन	भारत में जापानी मानक स्तर के शॉपक्लूज़ नेताओं को काम करने की जापानी पद्धति के साथ प्रशिक्षित करने और विनिर्माण क्षेत्र में मध्य प्रबंधन इंजीनियरों के लिए भविष्य के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ जापानी एंडोड पाठ्यक्रम (जेईसी) स्थापित करना।
		सहयोग ज्ञापन	तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी)
3	स्विट्जरलैंड	समझौता ज्ञापन	कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। कौशल विकास के क्षेत्रों में अच्छी प्रथाओं को साझा करना। नेटवर्क और साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के माध्यम से हितधारकों की क्षमता निर्माण।
4	संयुक्त अरब अमीरात	समझौता ज्ञापन	भारत से यूएई तक कुशल श्रमिकों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए कौशल विकास और सहयोग की पारस्परिक मान्यता पर सहयोग बढ़ाना।
5	कतर	समझौता ज्ञापन	दोनों देशों में पेशेवर और व्यापार योग्यता की मान्यता। भर्ती प्रक्रिया के पूर्व और बाद के श्रमिकों की विशेषज्ञता की मान्यता।

6	चीन	समझौता ज्ञापन	कौशल विकास के क्षेत्र में अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान को साझा करने के माध्यम से तकनीकी सहयोग को मजबूत करना।
7	बेलारूस	समझौता ज्ञापन	पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के तरीके, सामग्री, विकास, विभिन्न शिक्षण व्यवस्था।
8	यूके	कार्यान्वयन समझौता	कौशल विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना।
		समझौता ज्ञापन	उच्च मांग वाले क्षेत्रों में कौशल वितरण को मजबूत करना जहां यूके में तकनीकी और कौशल विशेषज्ञता, संस्थानों की क्षमता निर्माण, प्रशिक्षुता के लिए तकनीकी सहायता, गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रमाणन।
9	फ्रांस	समझौता ज्ञापन	क्षमता-आधारित पाठ्यक्रम का विकास और प्रशिक्षण प्रणाली के भीतर उनका प्रसार। प्रशिक्षण संस्थानों में और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के भीतर क्षमताओं का निर्माण करना।

****